बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

पटना–11 अप्रैल, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर–शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं।

उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री एच०आर० श्रीनिवास ने 'स्वीप गतिविधियों के तहत आज दिनांक 11.04.2024 को आकाशवाणी, पटना के जरिए मतदाताओं को मतदान में बढ़–चढ़ कर भागीदारी करने की अपील की तथा इसके साथ ही चुनाव की तैयारियों पर भी विस्तृत चर्चा की'।

प्राप्त सूचनानुसार लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिये आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य में वाहन दुरूपयोग के संदर्भ में 01 (औरंगाबाद जिला) केस रिकॉर्ड है, लाउडस्पीकर के उल्लंघन के मामले में 01 (भागलपुर जिला) केस रिकॉर्ड है तथा तद्नुसार 01 FIR दर्ज है, अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में 06 (औरंगाबाद, पूर्वी चम्पारण तथा समस्तीपुर जिला) केस रिकॉर्ड है तथा तदनुसार 05 FIR दर्ज है तथा निर्वाचक को प्रलोभन आदि के मामले में 06 (भोजपुर तथा बक्सर जिला) केस रिकॉर्ड है।

आदर्श आचार संहिता के तहत सरकारी सम्पत्तियों के विरूपण से संबंधित 02 बैनर, लोक सम्पत्तियों के विरूपण से संबंधित 03 दीवाल लेखन एवं 01 अन्यान्य और निजी संम्पत्तियों के विरूपण से संबंधित 02 पोस्टर एवं 01 बैनर के मामले में कार्रवाई की गई है।

दिनांक 10.04.2024 को कुल ₹4.82740(लाख) रूपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लिकर–18,157.85(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य ₹40.63112(लाख) है। जहाँ तक ड्रग्स एवं नारकोटिक्स की बात है तो कुल ₹83.49900(लाख) मूल्य के 292374.30(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। वही मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल ₹40.48265(लाख) मूल्य की 31387.00 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल ₹169.44018(लाख) मूल्य की कुल जब्ति प्रतिवेदित है।